93

/

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 127–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–11–16 पारित द्वारा तहसीलदार सिवनी मालवा प्रकरण कमांक 45/अ–6/2015–16.

श्रीमती उमा बाई विधवा महेश प्रसाद तिवारी
निवासी ग्राम बराखड़ खुर्द
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद
द्वारा मुख्त्यारआम जगदीश प्रसाद
आत्मज नाथूराम तिवारी
निवासी ग्राम बराखड़ खुर्द
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .... आवेदिका

विरूद्ध

दुर्गाप्रसाद पाण्डे
निवासी ग्राम बराखड़ खुर्द
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद ....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के अपील प्रकरण कमांक 915/07 में पारित आदेश दिनांक 12–2–2008 के आधार पर ग्राम बराखड़ खुर्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 211/2 रकबा 4.34 एकड़ में से रकबा 2.00 एकड़ भूमि पर उसका नामान्तरण किये जाने हेतु तहसीलदार तहसील सिवनी मालवा के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील

न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 45/अ–6/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 29–11–16 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक आदेश के विरूद्ध दो न्यायालयों में एकसाथ कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा अनदेखा कर विधि के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय की डिकी का निष्पादन, व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा पृथक से प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, जिससे प्रकरण में अनावश्यक वाद बाह्यता बढ़ेगी । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही को समाप्त करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर एकपक्षीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह आपत्ति ली गई है कि वृन्दावन जीवित है अथवा नहीं । बिना विभाजन किये आधिपत्य की मांग की गई है । निर्णय में खसरा नम्बर 123 में बटवारा के आदेश है, जबकि आवेदन पत्र में खसरा नम्बर 426 पर नामांतरण तथा आधिपत्य मांगा गया है । आवेदिका द्वारा इन आपत्तियों के संबंध में और आपत्ति भी इन्हीं तथ्यों पर पुनः की गई है ।

(2) आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदश 7 नियम 11 में उल्लिखित आधारों में से कोई भी आधार नहीं होने से तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा जिन बिन्दुओं का आक्षेप व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के माध्यम से किया गया है, वे बिन्दु प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर करते समय विचारणीय हैं । यदिः आवेदिका के उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण समाप्त किया जाता है तो प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर नहीं हो सकेगा, जबकि प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । अतः केवल उक्त आवेदन पत्र के आधार पर कार्यवाही समाप्त की जाना विधिसंगत नहीं है । उपरोक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर